तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8/1/18 आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थीगण पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तिथि 29.03.2018 तक जर्ये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी हाल ख0 नं0 1044 रकबा 0.49, 1054 रकबा 0.41, 1042 रकबा 1.20 हैक्ट0 वाके ग्राम बगडराजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर में किसी प्रकार की कोई बोरिंग वगैराह नही करें, मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। अप्रार्थीगण को जर्ये रजि0 ए0डी0 तलबी से तलब कर दिनांक 29.03.2018 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर) 29.3.18 वादी के वकील/पक्षकार उपस्थित/पीठासीन अधिकारी .... है। .... पेश किया [illegible] नकल दिलाई गई। वास्ते तलबी पत्रावली दिनांक 1-6-18 को पेश हो। 6-6-18 आज पत्रावली ... [illegible] 2018 ... बगडराजपूत में पेश हुई ... [illegible] मूलवाद खारिज हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र 212RTA भी खारिज किया जाता है। पत्रावली ... [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी	